बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग
संकल्प

पत्रांकः–प्र02/ब्रेडा अपरा नीति–11/08 2845 पटना, दिनांक – 24/06/2011

विषयः– ''बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्द्धन नीति 2011''

जन मानस की ऊर्जा आवश्यकताएँ निरन्तर बढ़ती जा रही है, परन्तु पारम्परिक ऊर्जा श्रोत इस बढ़ती हुई मॉग की पूर्ति न कर सकने के साथ–साथ पर्यावरण पर भी दबाब डाल रहें है। अतः गैर पारम्परिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा श्रोतों के दोहन एवं विकास पर बल देने की अत्यन्त आवश्यकता महसूस की जा रही है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा श्रोतों से विद्युत उत्पादन के संवर्द्धन हेतु बिहार सरकार द्वारा '' गैर पारम्परिक ऊर्जा श्रोतों के विकास में विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत'', वर्ष 2003'' में निरुपित किये गये थे, जो वर्ष 2008 तक प्रभावी था।

बिहार राज्य में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की प्रचुर संभावनाएं हैं, जिनका अभी भी दोहन किया जाना शेष है, बिहार सरकार ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन के संवर्द्धन हेतु एक पुनरीक्षित नीति निर्धारण का निर्णय लिया है।

1. नाम एवं प्रवर्त्तन (लागू किया जाना)

1.1 यह नीति ''बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्द्धन नीति 2011'' कही जायेगी ।

1.2 यह नीति अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी । राज्य सरकार, आवश्यक समझे जाने पर, इसमें संशोधन कर सकेगी । इस प्रकार के संशोधन के अधीन यह नीति अधिसूचना जारी होने की अवधि से पॉच वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी ।

2. कार्य क्षेत्र एवं आच्छादन

2.1 यह नीति बायोमास एवं बायोगैस आधारित परियोजना–सह–उत्पादन (को–जेनरेशन) परियोजनाओं, लघु/सूक्ष्म/छोटी पन–बिजली परियोजनाओं (25 मे॰वा॰ तक), पवन ऊर्जा परियोजना, सौर परियोजनाओं, नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित परियोजनाओं एवं किसी अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आधारित परियोजनाओं के साथ–साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के सभी प्रक्षेत्रों के संवर्द्धन हेतु लागू होगी ।

2.2 यह नीति सभी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लागू होगी ।

2.3 यह नीति किसी भी उद्योग, संस्था, निजी अभिकरण, साझेदारी (पार्टनरशिप) फर्म, कम्पनी, संकाय, पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, सहकारी या पंजीकृत सोसाइटी (रजिस्टर्ड सोसाईटी), जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत संयंत्र लगाने एवं विद्युत उत्पादन करने के इच्छुक हों, के लिए लागू होगी ।

3. भूमि

3.1 औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी भूमि उपलब्ध होने एवं विकासक द्वारा पहचान किए जाने पर राज्य सरकार की भूमि उपलब्ध कराए जाने विषयक नीति के अनुसार पट्टे (लीज) पर दी जायेगी।

3.2 परियोजना विकासक अपने स्तर पर निजी भूमि सीधे भू–स्वामियों से क्रय कर सकेंगे।

3.3 कृषि योग्य भूमि को गैरकृषि कार्य के व्यवहार हेतु अनुमति दी जाएगी।

4. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का कार्यान्वयन

4.1 परियोजना का अनुमोदन

4.1.1 परियोजना विकासक द्वारा आवेदन एवं स्थल विवरणी के अनुमोदन हेतु राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् (एस॰आई॰पी॰बी॰), उद्योग विभाग, बिहार सरकार को प्राक्–सम्भाव्यता प्रतिवेदन और प्रयोज्य (लागू) प्रक्रिया फीस के साथ आवेदन देना आवश्यक होगा । ऐसी परियोजनाओं के आवेदन के मूल्यांकन एवं उसकी अनुशंसा के लिए, लघु/सूक्ष्म/छोटी पन–बिजली परियोजनाओं को छोड़कर जिसके लिए बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन (बी॰एच॰पी॰सी॰) नोडल एजेन्सी है, बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी (ब्रेडा) नोडल एजेन्सी होगी ।

4.1.2 परियोजना विकासक को, जो राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् से परियोजना पर स्थल/स्थान चयनित किए बिना प्रस्तावित परियोजना पर सहमति प्राप्त कर चुके हैं; उन्हें इस नीति के प्रभावी होने की तिथि से एक (1) माह की अवधि के भीतर स्थल चयन कर राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् की सहमति हेतु सम्यक रुप से सूचित करना होगा।

4.2 ग्रिड इन्टरफेसिंग एवम् इवैक्युएशन की व्यवस्था

4.2.1 परियोजना विकासक अनिवार्यतः कैप्टिव परियोजना को छोड़कर अपनी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना से उत्पादित विद्युत् का न्यूनतम 25 प्रतिशत की आपूर्त्ति बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड/वितरण लाइसेंसधारी को प्रस्तावित करेगा; तथापि ऐसी विद्युत की आपूर्त्ति के प्रस्ताव पर स्वीकृति पूरी तरह बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/वितरण लाइसेंसधारी के विवेक पर निर्भर होगा ।

4.2.2 ऐसी परियोजनाओं से ग्रिड को अथवा ग्रिैड के माध्यम से तृतीय पक्ष को विद्युत् की बिक्री के लिए परियोजना के विकासक को अपनी लागत पर प्रणाली का डिजाईन एवं निर्माण करना होगा; ताकि राज्य ग्रिड/विद्युत् बोर्ड ग्रिड के साथ; विद्युत बोर्ड द्वारा निर्धारित विशिष्टियां एवं प्रचलित तथा समय–समय पर यथा संशोधित इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड/बिहार ग्रिड कोड के अनुरुप इटरफेसिंग हो सके ।

4.2.3 परियोजना विकासक द्वारा निकटतम ग्रिड/उपकेन्द्र तक उत्पादित विद्युत को ले जाने (इवैक्यूएशन) हेतु मीटरिंग एवं सुरक्षा उपकरणों सहित संचरण प्रणाली परियोजना की पूँजीगत लागत के व्यय का वहन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जायेगा, जो राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रदान कर दी जायेगी वशर्ते कि परियोजना विकासक

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा उत्पादित बिजली में से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड या लाइसेंसधारी को कम से कम पचास प्रतिशत, न्यूनतम दो मेगावाट बिजली देने का प्रस्ताव देता है, अन्यथा बिजली को निकटतम ग्रिड/उपकेन्द्र तक पहुॅचाने की परियोजना का पूरा खर्च सारे मीटरों एवं सुरक्षात्मक उपकरणों की लागत सहित, परियोजना विकासक को वहन करना होगा।

4.3 विद्युत का विक्रय/ह्वीलिंग

4.3.1 परियोजना विकासक अपने उपयोग के बाद शेष उत्पादित विद्युत् को राज्य ग्रिड/बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड ग्रिड को बिक्री कर सकेगा, यदि शेष उत्पादित विद्युत् 1 मेगावाट से अधिक उपलब्ध हो।

4.3.2 परियोजना विकासक उत्पादित विद्युत् की बिक्री तृतीय पक्ष को उत्पादित विद्युत् का उपयोग उत्पादन स्थल पर अथवा अन्यत्र निजी उपयोग बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड के नेटवर्क से लागू ओपेन एक्सेस प्रभार/अधिभार (सरचार्जेज) एवं अतिरिक्त अधिभार (सरचार्जेज) एवं बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित/अधिसूचित एवं समय–समय पर यथा संशोधित बिहार विद्युत् विनियामक आयोग (ओपन एक्सेस के निबंधन एवं शर्त्तें) विनियमावली 2006 अनुसार कोई अन्य प्रभार के भुगतान पर कर सकेगा, बशर्त्ते, तृतीय पक्ष कम से कम 1 मेगावाट लेने वाला हाईटेन्शन उपभोक्ता हो। परियोजना विकासक ऐसी ऊर्जा के ओपेन एक्सेस एवं ह्वीलिंग के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के साथ ओपेन एक्सेस एग्रीमेंट करेगा ।

4.3.3 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की बिक्री परियोजना विकासक एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के बीच बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा यथा विहित विद्युत क्रय अनुबन्ध (पावर परचेज एग्रिमेन्ट–पी॰पी॰ए॰) से, संचालित होगी।

4.4 परियोजना का अनुश्रवण (मॉनिटरिंग)

4.4.1 इस नीति के प्रभाव में आने के बाद या राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् के अनुमोदन की तिथि से, जो भी बाद में हो, सभी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित समय सारणी का पालन करेगी।

गतिविधियों के मील के पत्थर	कालावधि
आर्थिक संवृत्ति तथा परियोजना के लिए संयंत्र एवं कल–पुरजे के क्रय हेतु पक्का आदेश तथा अपेक्षित अग्रिम भुगतान अथवा आपूर्त्तिकर्त्ता संवेदकों के साथ अपरिवर्त्तनीय साख पत्रों का खोला जाना।	8 (आठ) महीने
परियोजना के लिए संयंत्र एवं कल–पुरजे की कार्य स्थल पर अधिप्राप्ति	18 (अठारह) महीने
चालू होना एवं वाणिज्यिक प्रचालन (उत्पादन)	24 (चौबीस) महीने

कालावधि की गणना इस नीति के अधिसूचित होने की तिथि अथवा राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा अनुमोदन की तिथि दोनों में से जो बाद में हो से की जायेगी।

4.4.2 राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् द्वारा स्वीकृत सभी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को, ब्रेडा/बी॰एच॰पी॰सी॰ को अर्द्ध वार्षिक प्रतिवेदन देना होगा जिसके साथ विभिन्न विभागो/प्राधिकारों से प्राप्त यथा वांछित परमिट/स्वीकृति (क्लियरेन्स)/सहमति की प्रतियां और उपर्युक्त 4.4.1 में वर्णित गतिविधियों के लक्ष्य प्राप्ति के दस्तावेजी साक्ष्य भी होंगे । अर्द्ध वार्षिक प्रतिवेदन में संयंत्र की क्षमता, प्रक्रिया में परिवर्तन के व्योरे और स्पष्टीकरण अथवा कोई अन्य ऐसी सूचना, जो परियोजना के चालू होने की तिथि को प्रभावी करेगी, भी शामिल की जायगी ।

4.4.3 राज्य निवेश पर्षद् चालू किए जाने की समय–सूची को बढ़ा सकेगी और नयी समय सारणी दे सकेगी, बशर्ते कि:–

(क) इसके पूर्व अन्य परियोजना विकासक को पुनरावलोकित परियोजना के लिए अनुमोदित/समनुदेशित नहीं किया गया हो ।

(ख) परियोजना विकासक कंडिका 4.4.1 के अधीन विहित अवधि की समाप्ति के 30 (तीस) दिन पूर्व परियोजना चालू होने में बिलम्ब के विश्वसनीय कारणों के उल्लेख के साथ राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् को आवेदन करे।

(ग) राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् द्वारा परियोजना विकासक के आवेदन में उल्लिखित कारणों को विश्वसनीय समझा जाय ।

5. प्रोत्साहन एवं इनकी प्रयोजनीयता

सभी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन एवं इनकी प्रयोजनीयता निम्नांकित होगी ।

5.1 सभी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित नीतियों के अधीन उपलब्ध लाभ पाने की हकदार होंगी।

5.2 सभी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं प्रभावी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, एवं राज्य सरकार की अन्य इस प्रकार के अन्य नीतिओं के अधीन आच्छादित सुविधाओं का उपयोग करने की हकदार होंगी ।

5.3 व्यवहार्य स्थलों को चिह्नित एवं चयन किए जाने के संबंध में ब्रेडा/बी॰एच॰पी॰सी॰ द्वारा आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराई जायेगी एवं सहयोग दिया जायेगा ।

5.4 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना से उत्पादित बिजली विद्युत शुल्क से विमुक्त होगा।

5.5 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु उपकरण एवं संयंत्र एवं मशीनरी इंट्री कर से विमुक्त होंगे।

5.6 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत् उत्पादन के प्रस्ताव हेतु भारत सरकार एवं/अथवा बिहार सरकार, इंडियन रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेंसी (इरेडा) एवं नवीन और

नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (एम॰एन॰आर॰ई॰) के दिशा निर्देश एवं प्रोत्साहन अथवा योजना अनुसार ऋण प्रस्तावित (ऑफर)/उपलब्ध कराया जायेगा ।

5.7 लघु/सूक्ष्म/छोटी पनबिजली योजनाओं से विद्युत् उत्पादन की दशा में परियोजना विकासक द्वारा नहर के जल पतन (वाटर–फॉल) अथवा नदी के जल प्रवाह के उपयोग की अनुमति जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार की स्वीकृति एवं अनुबंध के पश्चात् दी जायेगी। किन्तु, जल की विमुक्ति सिंचाई की मांग को देखते हुए की जायेगी।

5.8 ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत के उत्पादन एवं वितरण सम्बन्धी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा–14 का प्रावधान सभी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लागू होगा।

6. विशेष छूट/बायोमास आधारित परियोजनाओं की प्रयोजनीयता

6.1 परियोजनाओं के लिए बायोमास की उपलब्धता एवं निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् कुल समेकित क्षमता 2 मेगावाट से अधिक की बायोमास आधारित परियोजना के 25 किलो मीटर के दायरे में 2 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली किसी पूर्व स्वीकृत परियोजना की स्वीकृति नहीं देगी। किन्तु, राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् के पास ऐसी परियोजना की क्षमता तथा किसी क्षेत्र में बायोमास की उपलब्धता को दृष्टिपथ में रख कर ऊपर्युक्त क्षेत्र में वृद्धि अथवा कमी करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

6.2 परियोजना विकासक परियोजना की क्षमता निर्धारित करने एवं राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् को प्रस्ताव समर्पित करने के पूर्व संबंधित क्षेत्र में बायोमास उपलब्धता का आकलन करेगा।

6.3 इस नीति के प्रभावी होने के पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित लागू होंगेः

6.3.1 सभी संबंधित परियोजनाएं नोडल एजेन्सी ब्रेडा को परियोजना की प्रगति एवं अद्यतन स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करेंगा।

6.3.2 ऐसी परियोजनाओं कों, जिनके द्वारा कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की गयी है, का पुनरावलोकन नोडल एजेन्सी के द्वारा किया जायेगा और इसके बने रहने या निरस्तीकरण की अनुशंसा राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् को इस उद्देश्य से किया जाएगा कि उस क्षेत्र में अन्य गंभीर परियोजना विकासक को बायोमास आधारित परियोजना स्थापित करने की अनुमति दी जा सके ।

6.3.3 स्वीकृत परियोजनाओं के बीच बायोमास क्षेत्र के संबंध में यदि कोई विवाद हो जिससे इन परियोजनाओं की निरन्तरता प्रभावित होती हो तो परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् द्वारा की जायगी।

7. नवीकरणीय ऊर्जा क्रय आभार

7.1 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/वितरण लाइसेंसधारी, बिहार विद्युत विनियामक आयोग के नवीकरणीय क्रय आभार (आर॰पी॰ओ॰) के अन्तर्गत, सरकार की स्वीकृति के उपरान्त, बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा स्वीकृत टैरिफ के अनुरुप, निर्धारित न्यूनतम प्रमात्रा (क्वान्टम) से अधिक, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत् प्राप्त करने और आपूर्त्ति करने का प्रयत्न करेंगे। संचरण एवं वितरण प्रणाली में आवश्यक सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य बिहार राज्य

विद्युत बोर्ड/वितरण लाइसेंसधारी को संबंधित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना से क्रय किये गये विद्युत की सीमा तक करना होगा ।

7.2 जहाँ बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/वितरण लाइसेंसधारी बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निधारित दरों एवं शुल्क दरों पर उस नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन केन्द्र के विद्युत का क्रय करता हो वहाँ परियोजना विकासक संधारण/उत्पादन बंद रहने की अवधि में अपने लिए विद्युत उपभोग की अनुमति दी जाएगी, किन्तु, यदि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/वितरण लाइसेंसधारी उस विशिष्ट उत्पादन केन्द्र से विद्युत का क्रय नहीं करता हो तो बंद रहने/संधारण की अवधि में अपने उपभोग के लिए विद्युत प्राप्ति लागू यू॰आई॰ (यथा केन्द्रीय विनियामक आयोग द्वारा स्वीकृत) दरों पर अधिकतम यू॰आई॰ दर का 5 प्रतिशत जोड़ कर अथवा बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा ऐसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत क्रय हेतु स्वीकृत एवं लागू दर/शुल्क में से जो भी अधिक हो उस दर पर करेगा ।

आदेश–आदेश दिया जाता है कि इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव।